

आय-कर संदर्भ

समक्ष मान मोहन सिंह गुजराल और राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायमूर्ति।

आय-कर हरियाणा के आयुक्त, एच. पी. और दिल्ली, 3 नई दिल्ली, -आवेदक।

बनाम

मेसर्स बिहारी लाल प्यारे लाल अंबाला सिटी, -प्रतिवादी।

आयकर संदर्भ 1973 का 39

जुलाई 3, 1975

आयकर अधिनियम (1961 का 63)-धारा 2 (24) (v) 4,5,41 (1) और 271 (1) (सी)-धारा 41 (1) के तहत मानित आय का गैर-प्रकटीकरण-क्या दंड को आकर्षित करता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित 'आय' शब्द में धारा 41 के अधीन आय सम्मिलित है। धारा 4 और 5 को पढ़ने से आगे पता चलता है कि धारा 41 के तहत 'मानित आय' अधिनियम की धारा 4 के तहत कर के लिए उत्तरदायी होगी क्योंकि ऐसी आय परिभाषा खंड में उल्लिखित किसी अन्य स्रोत से आय के रूप में अच्छी आय होगी। के अनुसार। अधिनियम की धारा 271, आय को छिपाना या किसी आय के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करना आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त को जुर्माना लगाने का अधिकार देगा। इसलिए, यदि धारा 41 के तहत आय को छुपाया जाता है, तो धारा 271 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाता है बशर्ते उस धारा की अन्य शर्तों को पूरा किया जाए। यदि कोई आय उपार्जित हुई है कि क्या वह वास्तव में उपार्जित हुई है या क्या वह अधिनियम के डीमिंग प्रावधानों के परिणामस्वरूप उपार्जित हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आय जो अधिनियम के डीमिंग प्रावधानों के परिणामस्वरूप उपार्जित हुई है, जुर्माना लगाने का आधार बन सकती है। इस प्रकार मानित आय का गैर-प्रकटीकरण अधिनियम की धारा 271 के तहत दंड को आकर्षित करता है।

(पैरा 4)

निर्धारण वर्ष 1968-1969 के लिए 1970-71 के आई. टी. ए. संख्या 1398 से उद्भूत 1971-72 के आर. ए. संख्या 113 में दिनांक 30 जनवरी, 1971 के अधिकरण के आदेश से उद्भूत विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के विनिश्चय के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण (चंडीगढ़ पीठ) द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 256 (1) के अधीन निर्देश।

क्या किसी आय का खुलासा न करने के लिए, जिसे धारा 41 (1) के तहत आय माना जाता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 27 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

आवेदक की ओर से श्री बी. के. झिंगन के साथ श्री डी. एन. अवस्थी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्धी की ओर से अधिवक्ता के. एस. सूरी और अधिवक्ता लखिंदर सिंह।

फैसला

मित्तल, न्यायमूर्ति:-

(1) यह आदेश 1973 की आय-कर संदर्भ संख्या 39 से 41 का निपटान करेगा जिसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) संक्षेप में, संदर्भों के तथ्य यह हैं कि निर्धारण वर्ष 1968-69 से सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान, बिहारी लाल-प्यारे लाल (इसके बाद 'फर्म' के रूप में संदर्भित) के रूप में जानी जाने वाली फर्म को बिक्री कर विभाग से रिफंड के रूप में 4,498 रुपये की राशि प्राप्त हुई। यह राशि फर्म के दो भागीदार लक्ष्मण दास और सत प्रकाश के व्यक्तिगत खाते में समान रूप से जमा की गई थी। यह फर्म या दो भागीदारों की आय के विवरणी में दर्ज नहीं किया गया था। निर्धारिती द्वारा बताई गई वजह यह थी कि रिफंड पहले की अवधि से संबंधित था जब फर्म का गठन अलग तरीके से किया गया था और यह वर्तमान फर्म की आय नहीं थी। हालांकि, आयकर अधिकारी ने इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41 (1) के तहत 'मानित आय' के रूप में माना (इसके बाद '1961 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और फर्म की कुल आय की गणना में इसे जोड़ा। अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के आदेश की पुष्टि की। आयकर न्यायाधिकरण में आगे की अपील खारिज कर दी गई। निरीक्षण सहायक आयुक्त ने 1961 के अधिनियम की धारा 27 (1) (ग) के अधीन सभी निर्धारिती पर यह अभिनिर्धारित करते हुए दंड लगाया कि वे विवरणी में उस आय को न दिखाने के लिए व्यतिक्रमी थे। निरीक्षण सहायक आयुक्त के आदेशों के खिलाफ निर्धारिती द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी। अधिकरण ने फर्म और प्रत्येक भागीदार पर लगाए गए जुर्माने को यह मानते हुए हटा दिया कि 1961 के अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत उनके द्वारा प्राप्त राशियों को 'आय' शब्द में शामिल नहीं किया गया था और उक्त राशियों को उपरोक्त धारा के तहत निर्धारिती की आय माना गया था। इसने कहा कि एक आय जिसे आय के रूप में माना जाता है, वह आय को छिपाने का कारण नहीं बनती है क्योंकि राशि को एक कानूनी कल्पना द्वारा निर्धारिती की आय के रूप में लिया जाता है। न्यायाधिकरण की राय में, कानूनी कल्पना छिपाना स्थापित नहीं करती है। आय-कर आयुक्त ने धारा 256 (1) के अधीन निर्देश देने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को प्रेषित किए और सभी निर्देश में निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय की राय के लिए निर्दिष्ट किया गया: -

"क्या ऐसी आय का प्रकटन न करने के लिए, जिसे धारा 41 (1) के अधीन आय समझा जाता है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (ग) के अधीन जुर्माना लगाया जा सकता है।

हमारे सामने इस तरह का मामला है। प्रश्न के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह कानून का एक अमूर्त प्रश्न है। प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, 1961 के अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

"2 (24) 'आय' में शामिल है -

- (i) *
- (i) *
- (iii) *
- (iv) ♦

(v) धारा 28 के खंड (ii) और (iii) या धारा 41 या धारा 59 के अधीन आय-कर से प्रभार्य कोई राशि।

271(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान आय-कर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति-

(क) * * * *

(ख) * * * * *

(ग) ने अपनी आय का विवरण छिपा रखा है या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में सजा करेगा,-

(घ) (i) खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में उसके द्वारा संदेय किसी कर के अतिरिक्त, एक ऐसी राशि जो उस आय की रकम से कम नहीं होगी, लेकिन जो दोगुनी से अधिक नहीं होगी, जिसके संबंध में विवरण छिपाए गए हैं या गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

(3) धारा 4 एक प्रभारित करने वाली धारा है और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक निर्धारिती की, जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष या वर्षों की कुल आय के संबंध में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर प्रभारित किया जाए। धारा 5 निर्धारिती की कुल आय को परिभाषित करती है। धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार, पिछले वर्ष की कुल आय में ऐसे वर्ष में किसी निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई सभी आय शामिल है। धारा 41 (1) में कहा गया है कि जहां निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किसी वर्ष के निर्धारण में कटौती की गई है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती ने ऐसे व्यय के संबंध में कोई राशि प्राप्त की है, वहां उसके द्वारा प्राप्त राशि को व्यवसाय का लाभ और लाभ माना जाएगा और उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आयकर से प्रभार्य होगी, चाहे व्यवसाय अस्तित्व में हो या न हो, धारा 271, किसी निर्धारिती द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने, सूचनाओं का पालन करने, आय को छिपाने आदि में विफलता के मामले में दंड लगाने से संबंधित है। उपधारा (1) के खंड (ग) में कहा गया है कि यदि आय-कर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त को किसी आय के विवरण को छिपाने या ऐसी आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में संतुष्ट किया जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को कुछ दंड का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

(4) जिस प्रश्न का समाधान किया जाना है वह यह है कि क्या धारा 41 (1) के अधीन 'कल्पित आय' को 'आय' के रूप में लिया जाएगा जैसा कि दंड अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए धारा 271 (ग) में प्रयुक्त किया गया है। यह प्रश्न, हमारे विचार में, कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि 'आय' शब्द को अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसमें धारा 41 के तहत आय शामिल है। धारा 4 और 5 के

पठन से आगे पता चलता है कि धारा 41 के अधीन 'कल्पित आय' धारा 4 के अधीन कर के लिए दायी होगी, क्योंकि ऐसी आय परिभाषा खंड में उल्लिखित किसी अन्य स्रोत से आय जितनी ही अच्छी आय होगी। धारा 271 के अनुसार, आय को छिपाना या किसी आय के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करना आयकर अधिकारी और अपीलिय सहायक आयुक्त को जुर्माना लगाने का अधिकार देगा। इसलिए, यदि धारा 41 के तहत आय को छुपाया जाता है, तो धारा 271 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाता है बशर्ते उस धारा की अन्य शर्तों को पूरा किया जाए। हालांकि, संबंधित अधिकारियों को यह निर्धारित करना है कि क्या इस तरह से प्राप्त आय जुर्माना लगाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करती है। आयकर आयुक्त पंजाब बनाम आया सिंह ईशर सिंह मामले में इस अदालत की एक विद्वत पीठ ने अलग-अलग आधारों पर इसी तरह का विचार रखा है। इसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई आय उपार्जित हुई है, तो क्या वह वास्तव में उपार्जित हुई है या क्या वह अधिनियम के उपबंधों के कारण उपार्जित हुई है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आय-कर अधिनियम के विवेचनात्मक प्रावधानों के परिणामस्वरूप अर्जित आय, जुर्माना लगाने का आधार बन सकती है। हम विद्वत पीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आयकर आयुक्त पंजाब बनाम डी. डी. पुरी का हवाला दिया है, उस मामले के तथ्य अलग-अलग हैं और उसमें की गई टिप्पणियों से उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

(5) ऊपर अभिलिखित कारणों के लिए, इस प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (ग) के अधीन ऐसी आय का प्रकटन न करने के लिए, जो धारा 41 (1) के अधीन आय मानी जाती है, यदि उस धारा की अन्य शर्तों को पूरा किया जाता है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है। इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

एम एस गुजराल, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा

